न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–19/20 (2020/00049) वादपत्र

अनवान

1. कस्तुर आत्मज सोहनलाल खाती निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सत्यनारायण आत्मज सोहनलाल खाती निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर
3. उदी पुत्री सोहनलाल खाती निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. बदामदेवी पत्नि भैरूलाल सुथार निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. चान्दीदेवी पत्नि अम्बालाल सुथार निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मीठुदेवी पत्नि रोशनलाल सुथार निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सातादेवी पत्नि मीठालाल सुथार निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. महेन्द्रसिंह–

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 22.09.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 07.07.2020 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गल्यावड़ी पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के संयुक्त खातेदारी अधिकार कृषि आराजियात खाता संख्या 217 में अकिंत आराजी संख्या 317 रकबा 2.16 है0, भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्सेनुसार विधिवत रूप से विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिकी जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 14.09.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिकी एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिकी की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गल्यावड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 317/1 रकबा 1.08 है0 भूमि बदामदेवी पत्नि भैरूलाल, चान्दीदेवी पत्नि अम्बालाल, मीठुदेवी पत्नि रोशनलाल, सीतादेवी पत्नि मीठालाल सुथार सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 317/2 रकबा 1.08 है0 भूमि कस्तुर सत्यनारायण पिता सोहनलाल उदी पुत्री सोहनलाल खाती सा. देह खातेदार के नाम रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-9-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:51:12 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–19 / 20 (2020 / 00049) वादपत्र

अनवान

1. कस्तुर आत्मज सोहनलाल खाती निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सत्यनारायण आत्मज सोहनलाल खाती निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर
3. उदी पुत्री सोहनलाल खाती निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. बदामदेवी पत्नि भैरूलाल सुथार निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. चान्दीदेवी पत्नि अम्बालाल सुथार निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मीठुदेवी पत्नि रोशनलाल सुथार निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सातादेवी पत्नि मीठालाल सुथार निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गल्यावड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 317 / 1 रकबा 1.08 है0 भूमि बदामदेवी पत्नि भैरूलाल, चान्दीदेवी पत्नि अम्बालाल, मीठुदेवी पत्नि रोशनलाल, सीतादेवी पत्नि मीठालाल सुथार सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 317 / 2 रकबा 1.08 है0 भूमि कस्तुर सत्यनारायण पिता सोहनलाल उदी पुत्री सोहनलाल खाती सा. देह खातेदार के नाम रेकार्ड कायम किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.09.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22-9-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda

Date: 2020.09.29 12:51:12 IST

Reason: SelfAttested